गाँधी मैदान, पटना में "ऊलेन मेला" (माह दिसम्बर–2026 से जनवरी–2027) के आयोजन हेतु भू–भाग आवंटित किये जाने से संबंधित नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions) :–

गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 के निकट **निर्धारित 18,200 वर्गफीट (130ft×140ft) भू–भाग** के कुल छः (06) भू–खण्ड (गेट नं० 7 से 6 की ओर भू–खण्ड A, C, E एवं गेट नं० 7 से 8 की ओर भू–खण्ड B, D, F) में **"ऊलेन मेला"** के व्यावसायिक आयोजन निमित्त **आरक्षण योग्य देय संभावित तिथि दिनांक 01.12.2026 से अंतिम तिथि दिनांक 10.01.2027 (कुल 41 दिन) तक** उक्त भू–भाग के आरक्षण हेतु **दिनांक 30.11.2026 को अपराह्न 03:00 बजे डाक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता का चयन किया जाना है।** अतएव इच्छुक आयोजकों को उक्त डाक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी संस्था के Letter Pad पर आवेदन के साथ उक्त मेला से संबंधित वांछित दस्तावेज (डिमांड ड्रॉफ्ट सहित) को श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में **दिनांक 30.11.2026 के मध्याह्न 12:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।**

1. गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 के दायीं एवं बायीं ओर ऊलेन मेला हेतु 18,200 वर्गफीट भू–भाग आकार के **कुल 06 भू–खण्डों** (130'x140') यथा भू–खण्ड A, B, C, D, E एवं F का आवंटन **डाक प्रकिया** के माध्यम से भू–खण्डवार उच्चतम डाकवक्ता का चयन कर भू–भाग का आवंटन horizontal रूप से किया जायेगा, एक भू–खण्ड से दूसरे भू–खण्ड के बीच की दूरी 20 फीट निर्धारित होगी, जिसका उपयोग आयोजक व्यावसायिक रुप से नहीं करेंगे एवं न ही किसी प्रकार की कोई सामग्री आदि को रखेंगे **(अनुमोदित नजरी नक्शा संलग्न)**।

2. गाँधी मैदान, पटना में ऊलेन मेला के आयोजन हेतु एक आयोजक 18,200 वर्गफीट भू–भाग के **अधिकतम 06 भूखण्ड** के आरक्षण हेतु आवेदन कर पायेंगे।

3. आयोजक/संस्था को अपने–अपने आवेदन में **भू–खण्ड की संख्या** एवं **Particular भू–खण्ड का नाम** स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना अनिवार्य है। जिस आयोजक द्वारा जितने भू–खण्डों की संख्या एवं जिस–जिस Particular भू–खण्डों के लिए आवेदन समर्पित किया जायेगा, वे उसी भू–खण्ड के डाक प्रक्रिया में बोली हेतु भाग लेने के लिए अहर्त (Eligible) होंगे अथवा इस संबंध में डाक कमिटी का जो भी निर्णय होगा, वो अंतिम रूप से मान्य होगा।

4. आयोजक को उनकी संस्था के Letter Head पर समर्पित किये जाने वाले आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज/बैंक ड्रॉफ्ट समर्पित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके आवेदन पर **कोई विचार नहीं** किया जायेगा :–

(क.) **निबंधन शुल्क** के रुप में 1,000/– रु० का **डिमांड ड्रॉफ्ट** 'SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI' के पक्ष में, जो **Non-refundable** होगा।

(ख.) संस्था/फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्राधिकृत आवेदक का AADHAR, वैध (Valid) **आवासीय प्रमाण–पत्र** एवं संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत वैध (Valid) **आचरण प्रमाण–पत्र,** जो सूचना प्रकाशन की तिथि से छः (06) माह से अधिक का न हो, की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(ग.) संस्था/फर्म का PAN, GST निबंधन की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(घ.) ऊलेन मेला हेतु 18,200 वर्गफीट भू–भाग के **01 भू–खण्ड** के आरक्षण हेतु सुरक्षित राशि **(Reserved amount)** के रूप में **मो० 14,76,143/– (चौदह लाख छिहत्तर हजार एक सौ तैंतालिस) रु०** का **बैंक ड्रॉफ्ट** "SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI" के पक्ष में जमा करना होगा। एक से अधिक भू–खण्डों के लिए सुरक्षित राशि **(Reserved amount) मो० 14,76,143/– रु०** के **गुणक** में **बैंक ड्रॉफ्ट,** आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा (उदाहरण के लिए यदि किसी आयोजक द्वारा 03 भू–खण्ड के लिए आवेदन दिया जाता है तो उन्हें सुरक्षित राशि (Reserved amount) के रूप में **(14,76,143**रु०) × **3 भू–खण्ड अर्थात् कुल राशि 44,28,429/– रु०** को **बैंक ड्रॉफ्ट** "SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI" के पक्ष में जमा करना होगा)।

(ङ.) सुरक्षित जमा राशि (Reserved amount) हेतु जमा किये जाने वाले बैंक ड्रॉफ्ट पर आवेदनकर्ता संस्था/प्रॉपराईटर का नाम अंकित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यालय द्वारा **बैंक ड्रॉफ्ट की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।**

(च) आयोजक को इस आशय का **शपथ प्रमाण पत्र (Affidavit)** मूल में समर्पित करना होगा कि उनके संस्था/फर्म को किसी भी राज्य/विभाग के काली सूची में नाम दर्ज न हो, मेले में अग्निशमन सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था किये जाने संबंधित। साथ ही उक्त मेले हेतु आयोजक द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेजों की सत्यता से संबंधित Affidavit/**शपथ प्रमाण–पत्र** मूल में समर्पित करना होगा।

5. जिस आयोजक द्वारा विषयांकित मेला से संबंधित आवेदन समर्पित किया जा चुका है, उन्हें यह अवसर होगा कि अपने आवेदन में उल्लेखित भू–खण्डों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य भू–खण्ड के डाक बोली में भाग लेने के लिए इच्छुक हो तो डाक बोली के पूर्व **स्वघोषणा पत्र** के साथ सुरक्षित राशि **(Reserved amount) मो० 14,76,143/– रु०** का **बैंक ड्रॉफ्ट** "SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI" के पक्ष में जमा कर सकते हैं। एक से अधिक भू–खण्डों की डाक बोली के लिए सुरक्षित राशि (Reserved amount) मो० 14,76,143/– रु० के **गुणक** में **बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना अनिवार्य है।**

6. ऊलेन मेले हेतु निर्धारित **सुरक्षित जमा राशि** (reserve amount) का बैक ड्रॉफ्ट जमा किये जाने उपरांत डाक प्रकिया के माध्यम से अहर्त्ता रखने वाले आयोजकों के बीच **सुरक्षित जमा राशि** (reserve amount) के उपर **अधिकतम बोली (H1)** लगाने वाले **आयोजक** का चयन **भू–खण्डवार** (यथा भू–खण्ड–A, B, C, D, E एवं F) किया जायेगा।

7. उच्चतम डाक बोली राशि में शेष अंतर राशि बैंक ड्रॉफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किये जाने हेतु **अधिकतम पाँच (05) कार्यदिवस** का समय (सार्वजनिक अवकाश/बैंक अवकाश को छोड़कर) दिया जायेगा।

8. ऊलेन मेले हेतु उच्चतम डाक बोली राशि में से शेष अंतर राशि जमा कराने एवं जिला नियंत्रण कक्ष, पटना से **अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)** प्राप्त होने के उपरांत ही आयोजक को आरक्षण आदेश निर्गत किया जायेगा अथवा इस संबंध में डाक कमिटी की जो भी अनुशंसा होगी, उसके अनुसार भू–भाग आवंटित किया जायेगा।

9. ऊलेन मेला में आमजनों के सुलभ आवागमन एवं भीड़भाड़ के प्रबंधन के दृष्टिगत निःशुल्क वाहन की पार्किंग की व्यवस्था Volunteer रखकर आयोजक अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. चयनित उच्चतम डाक वक्ता आयोजकों को ऊलेन मेले संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण एवं आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण को हटाये जाने हेतु आरक्षण आदेश में वर्णित अवधि अंतर्गत ही करना होगा।

11. आयोजक द्वारा आरक्षण आदेश में निर्धारित समयावधि में ऊलेन मेला के आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना/सामान आदि को आवंटित भू–भाग से नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

12. डाक प्रकिया में भाग लेने वाले अन्य आयोजकों द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि (reserve amount) का बैंक ड्रॉफ्ट उच्चतम डाकवक्ता (H1) आयोजक के चयनोपरांत उनके संस्था के Letter Head पर आवेदन के साथ सम्बद्ध संस्था प्रोपराईटर/प्रतिनिधि के ID Proof की छायाप्रति कार्यालय में प्राप्त कर लौटा दिया जायेगा।

13. निर्धारित अवधि में परिवर्तन/अवधि विस्तार करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. लोकहित/जनहित एवं किसी भी अन्य कारणों तथा किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण/निविदा/डाक को रद्द करने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना–सह–अध्यक्ष, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति को सुरक्षित रहेगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी, पटना–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना।

दैनिक भास्कर
देश का नंबर 1 अखबार
सप्ताह की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ
दैनिक भास्कर पटना, सोमवार, 23 नवंबर, 2026 4

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना

श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति

–: आम सूचना :–

अतिअल्पकालीन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 के दायें एवं बायें ओर निर्धारित 18,200 (130'×140') वर्गफीट भू–भाग के कुल 06 (छः) भू–खण्ड (यथा भू–खण्ड A, B, C, D, E एवं F) में **"ऊलेन मेला"** के व्यावसायिक आयोजन किये जाने एवं गेट नं० 7 के निकट निर्धारित 70,000 (280'×250') वर्गफीट भू–भाग में **"डिजनीलैण्ड मेला"** आयोजन के निमित्त आरक्षण योग्य देय संभावित तिथि दिनांक 01.12.2026 से अंतिम तिथि दिनांक 10.01.2027 (कुल 41 दिन) तक उक्त भू–भाग के आरक्षण हेतु **दिनांक 30.11.2026 को अपराह्न 03.00 बजे डाक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता का चयन किया जाना है।** अतएव इच्छुक आयोजक उक्त डाक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी संस्था के Letter Pad पर आवेदन के साथ उक्त मेला से संबंधित वांछित दस्तावेज (डिमांड ड्रॉफ्ट सहित) को श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में **दिनांक 30.11.2026 के मध्याह्न 12.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।**

2.ऊलेन मेला एवं डिजनीलैण्ड मेला से संबंधित वांछित दस्तावेजों की जानकारी श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा इस संबंध में **विस्तृत जानकारी हेतु आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के वेबसाईट पोर्टल www.patnadivision.bih.nic.in** तथा **www.sksvs.bihar.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमण्डल, पटना–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना।

PR. No. 015890 (District) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

ALLOTMENT PLAN FOR DISNEYLAND & WOOLEN MELA

(November-2025 to January-2026)

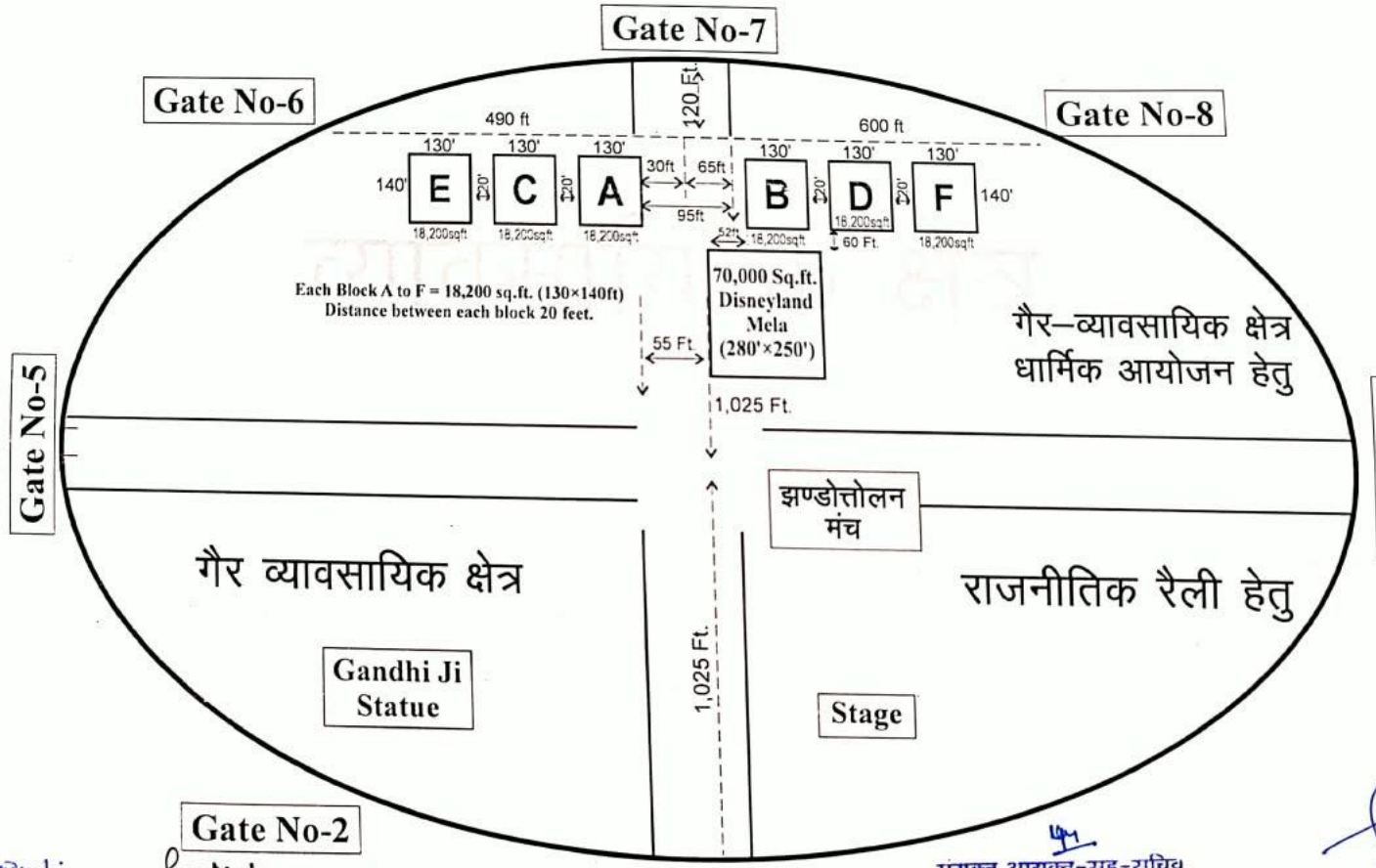

Anand Prajapanshi
ASO- cum- Exchange,
Gandhi Maidan

Prashant
(प्रशान्त)
A.S.O.

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
सह-प्रभारी पदाधिकारी
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना

District Magistrate, Patna
-cum-Chief Executive Officer
SKSVS, Patna

679